

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 1978/भाद्र 6, 1900  
No. 255] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 1978/BHADRA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

विदेश मंत्रालय

आवृत्ति

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1978

सा. का. नि. 434(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित देती है कि अध्याय 3 से भिन्न, उक्त अधिनियम के उपबंध 1 सितम्बर, 1978 से श्रीलंका का लागू होंगे।

[फा. सं. एल/413/1/78]

सख्य पाल नगाता, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 17th August, 1978

**G.S.R. 434(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Sri Lanka with effect from the 1st day of September, 1978.

[F. No. L/413/1/78]

S. P. JAGOTA, Jt. Secy. & Legal Adviser.